

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

—: अधिसूचना :—

राँची, दिनांक :- 28-9-16

अधिसूचना सं.-02/स्था.(एम.ए.सी.पी.)-17-01/2012.....**4699** /राज्य कर्मियों को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-06/एस.-06(प्रो.)-03/2009-2981/वि. राँची दिनांक 01.09.09 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर झारखण्ड अभियंत्रण सेवा (जल संसाधन) के अभियंताओं को जिन्हें पूर्व में 12/24 वर्ष अथवा दोनों की नियमित सेवा पूरी कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रथम/द्वितीय अथवा दोनों सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान किया गया था, उन्हें लगातार 30 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर लिये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने स्तम्भ-05 में अंकित तिथि से उन्हें तृतीय संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।

क्रमांक	अभियंता का नाम	आई.डी.	पद सोपान में योगदान की तिथि	संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे 7600 में तृतीय लाभ प्रदान करने की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुरेश कुमार	1624	10.07.67	01.09.08	
2	श्री ब्रज किशोर दसौधी	3535	30.01.79	30.01.09	
3	श्री जयदेव पंडित	3887	02.02.79	02.02.09	
4	श्री आशीष कुमार	J 5914	31.01.79	31.01.09	
5	श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया	J 6115	02.02.79	02.02.09	
6	श्री रामनिवास दूबे	J 7089	05.03.79	05.03.09	
7	श्री रामलखन सिंह	J 7310 A	02.07.79	02.07.09	

1. यह योजना दिनांक 01.09.2008 से प्रभावी है।
2. यह वित्तीय उन्नयन योजना व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।
3. इस योजनान्तर्गत वित्तीय उन्नयन हेतु संबंधित कर्मियों के वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 एवं संकल्प सं.-660/वि. दिनांक 28.02.2009 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा। भविष्य में यदि पाया जाता है कि दिया गया वित्तीय उन्नयन गलत है या इसके चलते अधिक भुगतान हुआ है तो अधिक भुगतान की गई राशि एक मुश्त वसूल कर ली जायेगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(सुखदेव सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- **4699**

राँची, दिनांक :- 28-9-16

प्रतिलिपि:- अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को अधिसूचना की तीन मूल प्रतियों (सी.डी.सहित)

के साथ गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट में प्रकाशनोपरांत प्रकाशित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को अभिलेख हेतु भेजने की कृपा की जाय।


(सुखदेव सिंह)

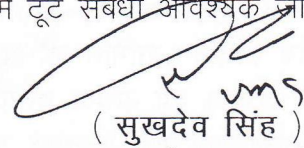
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 4699

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अभिलेख से योगदान की तिथि एवं सेवा में टूट संबंधी आवश्यक जाँच कर वेतन पुर्जा निर्गत किया जाय।

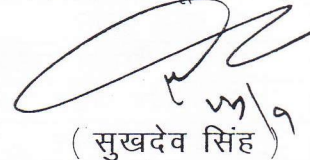

(सुखदेव सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 4699

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचि, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मंत्रीमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रॉची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव(प्रबंधन कोषांग सहित)/ सभी संबंधित मुख्य अभियंता/ सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/ सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/ सभी संबंधित अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ प्रशाखा पदाधिकारी-01 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

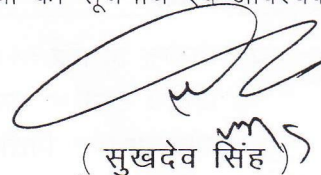

(सुखदेव सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 4699

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुखदेव सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव